छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

हरिभूमि परिसर, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर

फोन –9753000207, 0771–2422151, 2421531, टेलीफैक्स – 0771–2433327

//संशोधित विज्ञापन//

कमांक/5102/पापुनि/स्थापना/1–2/2011 **रायपुर, दिनॉक 19/12/2011**

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय एवं निगम के अधीन डिपो में रिक्त निम्नलिखित पदों पर सीधी/संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 19.01.2012 तक सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । उक्त आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी । विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व के तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

–:: पदों का विवरण ::–

क0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			पुरूष	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	पुरूष	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	पुरूष	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	पुरूष	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक
01	डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 (संविदा एक वर्ष)	08	**3**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	–	–
02	डाटा एंट्री ऑपरेटर	08	**3**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	–	–	**1**	–	–	–
03	भृत्य	08	**2**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	–	–

–: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

1. डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 (संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये) पद के लिये :–

(अ) – वेतनमान रुपये 11820.00 (एकमुश्त)

(ब) – शैक्षणिक योग्यता :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्य का 05 वर्ष कार्यानुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एम.लिब उपाधि उत्तीर्ण ।
3. छ0ग0 शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा प्रमाण पत्र । डाटा एंट्री की 10000 डिप्रेशन प्रति घंटा।

2. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पद के लिये :–

(अ) – वेतनमान वेतन बैंड रुपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रुपये–2400/–

(ब) – शैक्षणिक योग्यता :–

1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।
2. डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति ।

3. भृत्य पद के लिये :–

(अ) – वेतनमान वेतन बैंड रुपये 4750–7440/– ग्रेड वेतन रुपये–1300/–

(ब) – शैक्षणिक योग्यता :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– पूर्व माध्यमिक (8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान ।

महत्वपूर्ण :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये आवेदित पद के लिये निर्धारित अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर तथा चयन पश्चात् भी आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी तथा उम्मीदवार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही भी की जा सकेगी।

टीपः– केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होगें ।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित है।

—: आयु सीमा एवं पात्रता :—

1. रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी।)
   (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
   (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 फरवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
2. दिनांक 01 जनवरी 2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो।
3. **उच्चतम आयु सीमा में छूट :—**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :—

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—7—25/93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरुप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थाई सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। महिलाओं के लिये आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलयीन होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। विधवा, परितक्यता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। इस अधिकतम आयु सीमा तथा छूट की सीमा को मिलाकर, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—1—2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रुप में सेवा की है, इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परितक्यता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी—9/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

विक्रम पुरुस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी. 3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :— (1) बिन्दु क्रमांक 3 में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरुप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक 3 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के होने के साथ—साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरुस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरुस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी। ग्रीनकार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के लिये निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीनकार्डधारकों के लिये 2 वर्ष की और

अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरुस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) उपरोक्त 3 में उल्लेखित उच्चतम आयु में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

—: आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया :—

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत किये जा सकेगें। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2012 की संध्या 05.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रुप से आवेदित पद डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 (संविदा)/डाटा एंट्री ऑपरेटर/भृत्य पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर (छ0ग0) के कार्यालय में डाक द्वारा प्रस्तुत करे । दिनांक 09.01.2012 की संध्या 05.00 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां तथा दो पासपोर्ट आकार के हस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल/हायरसेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति संलग्न करें।
3. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ दो लिफाफा प्रत्येक पर रुपये 5/– की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रुप से संलग्न करें।
4. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र प्रारुप की प्रति छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर के वेबसाईट www.cgtbc.org से डाउनलोड कर सकते हैं।
5. निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम दो सप्ताह के पश्चात् निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले पात्र एवं अपात्र उम्मीदवारों की सूची अपात्रता संबंधी जानकारी के साथ तैयार कर, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं उक्त सूची उपरोक्त वेब साईट पर भी देखी जा सकेगी।
6. पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि के लिये प्रवेश पत्र, उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये लिफाफे में डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

—: नियम एवं शर्तें :—

1. आवेदक का चयन प्राविण्यता के आधार पर किया जायेगा।
2. चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। (डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 को छोड़कर)
3. आवेदकों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन यदि हो तो, उसका उल्लेख किया जावे।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत् हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। बगैर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र युक्त आवेदन निरस्त माना जावेगा।
5. आवेदक को आवेदन के साथ (1) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए रूपये 400.00 (रूपये चार सौ मात्र) (2) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के अभ्यार्थियों के लिए रूपये 200.00 (रूपये दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर के नाम से देय होगा । (प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें)
6. प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थियों को छानबीन समिति से जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
8. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने के लिये प्रबंध संचालक, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगें।
9. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. उपरोक्त विज्ञाप्ति पद की संख्या परिवर्तनीय होगी, जिसे बढ़ाया/कम किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है।
12. चुने हुये अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रदेश में स्थित निगम के किसी भी डिपो कार्यालय में की जा सकती है।
13. विकलांग उम्मीदवार स्पष्ट करेंगें कि वे किस प्रकार से विकलांग है।
14. चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से चयन समिति या चयन प्रकिया को प्रभावित करने का अनुचित प्रयास चयन हेतु अयोग्यता माना जायेगा।
15. रोस्टर के संबंध में शासन द्वारा भविष्य में कोई निर्देश प्राप्त होते है तो उसका पालन किया जायेगा ।
16. आवेदन में काट–छॉट पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

—: चयन प्रकिया :—

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौशल परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्तांकों को जोड़कर प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी और उक्त सूची के अनुसार छ0ग0 शासन द्वारा तथा निगम के कार्यकारिणी में अनुमोदन पश्चात्

नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्यता सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, अर्थात् जो उम्र में बड़े होंगे, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष अथवा प्रबंध संचालक, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर का होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जायेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ रायपुर से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जायेगा।

–: अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी :–

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

–: नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

प्रथम भाग – लिखित परीक्षा :–

छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य, मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।

द्वितीय भाग – कौशल (प्रायोगिक) परीक्षा :–

डिपो प्रबंधक ग्रेड–3, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु कम्प्यूटर में कौशल परीक्षा 20 मिनट का आयोजित की जावेगी, जिसके लिये 20 होगें । जिसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है।

साक्षात्कार –

(1) डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी होगा । उम्मीदवरों के साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है । उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों का डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रावीण्य सूची के अनुसार निगम द्वारा तय किये गये मापदण्ड के आधार पर अभ्यार्थियों को कौशल एवं साक्षात्कार में आमंत्रित किया जायेगा ।
(2) भृत्य पद हेतु अभ्यार्थियों के आवेदन स्क्रूटनी के पश्चात् सही पाये गये आवेदन तथा निगम द्वारा तय किये गये मापदण्ड के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा । भृत्य पद हेतु लिखित परीक्षा नहीं होगी ।
(3) यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो संशोधित विज्ञापन के आधार पर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति कर सकते है ।
(4) आवेदक द्वारा जो बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न की गई है यदि किसी भी स्थिति में उसका आवेदन निरस्त होता है तो उसके द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट वापस नहीं किया जायेगा ।
(5) शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के मापदण्ड के अनुसार चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी । रोस्टर के संबंध में शासन से यदि भविष्य में कोई संशोधन प्राप्त होता है तो उसका पालन किया जायेगा ।
(6) शासन द्वारा जारी आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जायेगा ।

चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रबंध संचालक, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर का निष्कर्ष बंधनकारी होगा।

प्रबंध संचालक
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम
रायपुर

आवेदन पत्र
डिपो प्रबंधक ग्रेड–3 (संविदा)/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/भृत्य के पदों पर नियुक्ति हेतु

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम
रायपुर (छ0ग0)

प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम..
पदनाम..

1. आवेदित पद का नाम :– ——————————————————
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ——————————————————
(अंग्रेजी में) :– ——————————————————
3. पिता/पति का नाम :– ——————————————————
4. (अ) जन्मतिथि अंकों में :– वर्ष ———— माह ———— दिन ————
(ब) शब्दों में :– ——————————————————
5. दिनांक 01.01.2012 को आयु :– वर्ष ———— माह ———— दिन ————
6. लिंग– पुरुष/महिला :– ——————————————————
7. (अ) पत्र व्यवहार का पता :– ——————————————————
——————————————————
——————————————————
(ब) स्थाई पता :– ——————————————————
——————————————————
——————————————————
8. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :– ——————————————————
——————————————————
9. क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते है? यदि हाँ, तो किस श्रेणी से उल्लेख करें। :– ——————————————————
10. क्या आवेदक छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) :– ——————————————————
11. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) :– ——————————————————
12. क्या आवेदक विकलांग है? हाँ/नहीं :– ——————————————————
(यदि हाँ तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रति संलग्न करें।)
13. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :– ——————————————————
14. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/नहीं :– ——————————————————
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
15. क्या आप विवाहित है ? हाँ/नहीं :– ——————————————————
16. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि :– ——————————————————
17. जीवित बच्चों की संख्या :– ——————————————————
18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत है? हाँ/नहीं :– ——————————————
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

20. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दांण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रुप से अनिवार्यता उल्लेख करें।

21. बैंक ड्राफ्ट का विवरण :–कमांक————————दिनांक————————राशि——————बैंक का नाम——————————

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1.	——————————————————	2.	——————————————————
3	——————————————————	4.	——————————————————
5.	——————————————————	6.	——————————————————

(आवेदक के हस्ताक्षर)
(आवेदक का नाम ———————————)

—: घोषणा :—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :– ——————
स्थान :– ——————

(आवेदक के हस्ताक्षर)
(आवेदक का नाम ———————————)